



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 104 राँची, सोमवार,

20 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 दिसम्बर, 2022

संख्या-4/प्रोन्नति-03-01/2022 का. 8001--दिनांक-07.11.2022 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 9,300-34,800, ग्रेड पे-5400, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल-9) के निम्नांकित पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 15,600-39,100, ग्रेड पे 6600, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल-11) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 15,600-39,100, ग्रेड पे 6600, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल-11) में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/ कोटि क्रमांक/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
i	ii	iii
1	श्री मोहन लाल मराण्डी 43/20, गोड्डा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार
2	श्री प्रशांत कुमार लायक 77/20 दुमका	अंचल अधिकारी, धनबाद सदर
3	श्री हरि शंकर बारिक 83/20, प० हभूम	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातु, राँची
4	डॉ शिशिर कुमार सिंह 96/20, गोड्डा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर, गुमला
5	श्री गोपी उराँव 130/20, लोहरदगा	अंचल अधिकारी, चाईबासा सदर
6	श्री वैधनाथ उराँव 140/20, राँची	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतगावाँ, कोडरमा
7	श्री राजीव कुमार 164/20, गोड्डा	अंचल अधिकारी, घाटशिला, पू० सिंहभूम
8	श्री रामगोपाल पाण्डेय 182/20, रोहतास	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजधनवार, गिरिडीह
9	श्री राजेश कुमार 186/20, गिरिडीह	अंचल अधिकारी, हजारीबाग सदर
10	श्री मुकेश कुमार 211/20, दुमका	व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड), हेहल राँची
11	श्रीमती नूपुर नलिनी भगत 259/20, लोहरदगा	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची
12	श्रीमती छवि बाला बारला 282/20, गुमला	कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो
13	श्री जीतराय मुर्मू 283/20, सरायकेला-खरसांवा	अंचल अधिकारी बहरागोड़ा, पू० सिंहभूम
14	मो० जहुर आलम 299/20, जामताड़ा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरवां, देवघर
15	सुश्री प्रीति सिन्हा 302/20, राँची	कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार सदर
16	श्री लेखराज नाग 305/20, गुमला	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खलारी, राँची
17	श्रीमती नीतु कुमारी 306/20, रामगढ़	अंचल अधिकारी, दारू, हजारीबाग
18	श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया 307/20, देवघर	कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद् अतिरिक्त प्रभार- कार्यपालक पदाधिकारी, राजमहल नगर पंचायत
19	श्री सुधीर कुमार 308/20, लातेहार	अंचल अधिकारी, रामगढ़ सदर
20	श्री संजय कुमार 311/20, उत्तर प्रदेश	कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर परिषद्
21	श्री दिवाकर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी 312/20, मध्य प्रदेश	अंचल अधिकारी, कांके, राँची
22	श्री विवेक कुमार मेहता 313/20, गिरिडीह	कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर
23	श्री संतोष गुप्ता 314/20, रामगढ़	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डाड़ी, हजारीबाग
24	श्री आफताब अहमद 315/20, पलामू	भू-सम्पदा पदाधिकारी, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची

25	श्रीमती अरूणा कुमारी 316/20, राँची	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जयनगर, कोडरमा
26	श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता 317/20, गिरिडीह	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसिया, गुमला
27	श्री अशोक कुमार 318/20, चतरा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ, गिरिडीह
28	श्री बिपिन कुमार दुबे 319/20, गढ़वा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा
29	श्री उदय रजक 321/20, चतरा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर
30	श्री कुमार अभिषेक सिंह 322/20, देवघर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेहरमा, गोड्डा
31	श्रीमती प्रियंका सिंह 323/20, मुजफ्फरपुर (बिहार)	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावां
32	श्री राजीव कुमार 324/20, साहेबगंज	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी, गोड्डा
33	श्रीमती दीपमाला 325/20, पलामू	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरडीहा, गढ़वा
34	श्रीमती पारूल सिंह 326/20, उत्तर प्रदेश	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चाईबासा सदर, प0 सिंहभूम
35	श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा 327/20, कोडरमा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौपारण, हजारीबाग
36	श्रीमती कंचन सिंह 329/20, राँची	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज
37	श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा 332/20, राँची	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हजारीबाग सदर
38	मो0 मोजाहिद अंसारी 333/20, राँची	अंचल अधिकारी, पदमा, हजारीबाग
39	श्री अनुज बाण्डो 337/20, राँची	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नोवामुण्डी, प0 सिंहभूम
40	श्रीमती दीप्ति प्रियंका कुजूर 357/20, राँची	अंचल अधिकारी, कामडारा, गुमला
41	श्रीमती मारुति मिंज 361/20, गुमला	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला- खरसावां
42	श्री अमरेन डांग 362/20, सिमडेगा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड़, लातेहार
43	श्री संदीप भगत 363/20, गुमला	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रनिया, खूँटी
44	श्री शंकरा चार्य समाद 364/20, पश्चिमी सिंहभूम	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नीमडीह, सरायकेला- खरसावां
45	श्रीमती सविता टोपनो 370/20, खूँटी	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धालभूम, पूर्वी सिंहभूम
46	श्रीमती प्रीतिलता किस्कू 372/20, दुमका	अंचल अधिकारी, राजमहल, साहेबगंज
47	श्री राम नारायण खलखो 374/20, राँची	कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा
48	श्रीमती सीमा दीपिका टोप्पो 375/20, गुमला	कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा
49	श्री सुमन्त तिर्की 376/20, गढ़वा	अंचल अधिकारी, बेड़ो, राँची
50	श्री नरेश रजक 378/20, गिरिडीह	अंचल अधिकारी, जरीडीह, बोकारो
51	श्री गौतम कुमार, 380/20, रामगढ़	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खरसावां, सरायकेला- खरसावां

52	श्रीमती कामिनी कौशल लकड़ा 381/20, राँची	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग
53	श्रीमती प्रीतिलता मुर्मू 382/20, साहेबगंज	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानेश्वर, दुमका
54	श्री पंकज कुमार रवि 384/20, पलामू	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मसलिया, दुमका
55	श्री बिमल सोरेन 385/20, रामगढ़	अंचल अधिकारी, तमाड़
56	श्री विनय प्रकाश तिग्गा 387/20, राँची	अंचल अधिकारी, पीरटांड, गिरिडीह
57	श्री रवि किशोर राम 389/20, गुमला	अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी, गोड्डा
58	श्रीमती अनीता केरकेड़ा 390/20, सिमडेगा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीपरा, पलामू
59	श्री जोहन टुडू 391/20, साहेबगंज	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मारगोमुण्डा, देवघर
60	श्री श्रवण राम 392/20, पलामू	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगरउटारी, गढ़वा

2. (i) श्री अशोक कुमार चोपड़ा, कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-173/20) की अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गई है, जिसके फलस्वरूप श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-327/20) को विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-2(iii) के आलोक में स्थानापन्न आधार पर अनारक्षित कोटि में प्रोन्नति हेतु योग्य की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

श्री अशोक कुमार चोपड़ा, कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-173/20) के आरोप मुक्त होने की स्थिति में मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा के आधार पर यदि उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाता है तो वैसी स्थिति में श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-327/20) को अनारक्षित कोटि की रिक्ति के क्रमांक- 36 के विरुद्ध चयन किया जायेगा। फलतः अनारक्षित कोटि में अनुशंसित अंतिम पदाधिकारी मो0 मोजाहिद अंसारी (कोटि क्रमांक-333/20) को विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका- 2(vi) के आलोक में पदावनत किया जायेगा।

(ii) श्रीमती सीमा कुमारी, कोटि-अ0ज0जा0 (कोटि क्रमांक-218/20) की अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गई है, जिसके फलस्वरूप श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा, कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-327/20) को विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका- 2(iii) के आलोक में स्थानापन्न आधार पर अनारक्षित कोटि में प्रोन्नति हेतु योग्य की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

श्रीमती सीमा कुमारी, कोटि-अ0ज0जा0 (कोटि क्रमांक-218/20) के आरोप मुक्त होने की स्थिति में मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा के आधार पर यदि उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाता है तो वैसी स्थिति में श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा, कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-327/20) को अनारक्षित कोटि की रिक्ति के क्रमांक- 36 के विरुद्ध चयन किया जायेगा। फलतः अनारक्षित कोटि में अनुशंसित अंतिम पदाधिकारी मो0 मोजाहिद अंसारी (कोटि क्रमांक-333/20) को विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका- 2(vi) के आलोक में पदावनत किया जायेगा।

(iii) श्री प्रदीप कुमार महतो, कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-309/20) की अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गई है, जिसके फलस्वरूप श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा, कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-327/20) को विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका- 2(iii) के आलोक में स्थानापन्न आधार पर अनारक्षित कोटि में प्रोन्नति हेतु योग्य की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

श्री प्रदीप कुमार महतो, कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-309/20) के आरोप मुक्त होने की स्थिति में मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा के आधार पर यदि उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाता है तो वैसी स्थिति में श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा, कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-327/20) को अनारक्षित कोटि की रिक्ति के क्रमांक- 36 के विरुद्ध चयन किया जायेगा। फलतः अनारक्षित कोटि में अनुशंसित अंतिम पदाधिकारी मो० मोजाहिद अंसारी (कोटि क्रमांक-333/20) को विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका- 2(vi) के आलोक में पदावनत किया जायेगा।

(iv) श्री नितिन शिवम् गुप्ता कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-320/20) की अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गई है, जिसके फलस्वरूप श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा, कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-327/20) को विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका- 2(iii) के आलोक में स्थानापन्न आधार पर अनारक्षित कोटि में प्रोन्नति हेतु योग्य की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

श्री नितिन शिवम् गुप्ता कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-320/20) के आरोप मुक्त होने की स्थिति में मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा के आधार पर यदि उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाता है तो वैसी स्थिति में श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा, कोटि-अनारक्षित (कोटि क्रमांक-327/20) को अनारक्षित कोटि की रिक्ति के क्रमांक- 36 के विरुद्ध चयन किया जायेगा। फलतः अनारक्षित कोटि में अनुशंसित अंतिम पदाधिकारी मो० मोजाहिद अंसारी (कोटि क्रमांक-333/20) को विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका- 2(vi) के आलोक में पदावनत किया जायेगा।

(v) अनारक्षित कोटि के एक से अधिक पदाधिकारियों के आरोप मुक्त होने की स्थिति में मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा के आधार पर यदि उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाता है तो वैसी स्थिति में अनारक्षित कोटि में अनुशंसित क्रम में अंतिम पदाधिकारियों को उनके निचले क्रम के अनुसार पदावनत किया जायेगा।

3. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के द्वितीय बैच के पदाधिकारियों (क्रम सं० 1 से 7 तक) की प्रोन्नति इनके संबंध में दायर W.P.(PIL) No.3594/2011 बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ के क्रम CBI, AHD, Ranchi Case No. RC 05(A)/2012-AHD-R and CBI, AHD, Ranchi Case No. RC 06(A)/2012-AHD-R दर्ज वाद के फलाफल से प्रभावित होगी।

4. यह प्रोन्नति W.P.(S) NO, 625/2021 बन्दना भारती बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P(S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में तथा W.P(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

5. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।
